उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-39/2018/47मु0स0/37-1-2018-5(23)/2018

लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आच्छादित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्री वेदप्रकाश सिंह राजपूत, संयुक्त सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन (कार्यालय कक्ष संख्या-52, दूरभाष संख्या-2213863 एवं मोबाइल संख्या-9454411890) को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2018/47मु0स0/37-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर (श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1671/पी0एस0एम0एस0/एस0ओ0/2018, दिनांक 22-11-2018 के क्रम में।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री वेदप्रकाश सिंह राजपूत, संयुक्त सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- पशुधन अनुभाग- 2 व 3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।